

आदि अंग  
भूमध्य  
संघ

निगा | २१५/II/15

लिंगेट रीफ

158

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)



निगरानी क्र0 / 15

340

- बाबूलाल तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र ५० वर्ष
- मोतीलाल तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र ५५ वर्ष
- रामचन्द्र तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र ५८ वर्ष
- मु0 चुनकी पत्नी स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार ७८ वर्ष सभी निवासी नयागांव चित्रकूट थाना नयागांव तहसील मङ्गगांव जिला सतना म0प्र0

— निगराकारगण —

### बनाम

- बच्चा तनय झड़वा प्रजापति सा0 नयागांव तह0 मङ्गगांव जिला सतना म0प्र0
- शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना जिला सतना म0प्र0

— गैरनिगराकारगण —

...एन. ए. पटेल के  
द्वारा जारी दिनांक 19.8.15  
प्रस्तुत  
केंट सेन्ट ग्रीव  
*[Signature]*

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान राजस्व  
निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मङ्गगांव  
जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण  
क्र0 11/अ12/2014-15 में पारित  
आदेश दिन 30/5/2015

निग0 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0

मान्यवर,

निगराकारगण निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निम्नलिखित विनय करते हैं-

### निगरानी के तथ्य

यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क्र0 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 म0प्र0भू0रा0स0 के तहत श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर गैरनिगराकार क्र0 1, जो ऐसे वाला व प्रभावशाली व्यक्ति है, ने राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट व हल्का श्री नयागांव चित्रकूट को अपने प्रभाव में लेते हुये चोरी छिपे बिना सरहददी लाशकारों को सूचना दिये, निगराकारगण के हक स्वामित्व की आराजी नं0

रामचंद्र

158  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2915-II/2015 ..... जिला M.D.O.

विरुद्ध कार्यालय

बाबूलाल

3

19.12.18

2

1. आवेदक की ओर से श्री मिलामा मिलामा अधिवक्ता द्वारा  
यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्तनिकार्यालय सील मिलामा के  
प्रकरण क्रमांक 11/30/12/2016-2015 में पारित  
आदेश दिनांक 30-5-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी  
है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये  
संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50  
सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण  
कलेक्टर मिलामा मिलामा के न्यायालय को अंतरित किया  
जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15-03-2019 को  
कलेक्टर मिलामा मिलामा के न्यायालय में सुनवाई हेतु  
उपस्थित हो।

।  
—  
सदस्य

(W)